भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 26
उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

निजी स्कूलों में दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव

26. श्री ए. राजा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी स्कूलों में दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव के कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी स्कूलों में दलितों और आदिवासियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या विशिष्ट विनियामक उपाय जारी किए गए हैं; और
(ग) हाशिये पर स्थित समुदायों के विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने और निजी स्कूलों में सुरक्षा, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को भेजे गए सरकारी परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/आदेशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस प्रकार, निजी स्कूलों में एससी और एसटी समुदायों के छात्रों के खिलाफ भेदभाव से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(ख) और (ग): आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के तहत, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 (ग) और 9 (ग) स्कूलों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाती है कि कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव न किया जाए और उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोका न जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास में असमानताओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एनईपी, 2020 में यह स्पष्ट उल्लेख भी है कि छात्रों को एक समावेशी स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं द्वारा लाई गई इस नई स्कूल संस्कृति के साथ-साथ संबंधित परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा।

स्कूल पाठ्यक्रम में शुरुआत से ही सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेश और समानता जैसे मानवीय मूल्यों पर सामग्री शामिल होगी। इसमें विविधता के प्रति संवेदनशील बनाने और सम्मान विकसित करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं,जेंडर पहचान आदि का अधिक विस्तृत ज्ञान भी शामिल होगा। स्कूल पाठ्यक्रम में किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को दूर किया जाएगा और अधिक सामग्री शामिल की जाएगी जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबन्धित हो।

*****